मीडिया सेल, गृह विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

कावड़ यात्रा को सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण मे सम्पन्न कराने के निर्देश

लखनऊः 06 जुलाई, 2017

शासन द्वारा आगामी श्रावण मास मे आयोजित होने वाली कावड़ यात्रा को सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण मे सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गये है। यह भी अपेक्षा की गई है कि इस वर्ष की कॉवड़ यात्रा के दौरान ऐसी उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए कि कावड़ यात्रियो को व्यवस्था में बदलाव लगे और वह अपनी यात्रा सुविधाजनक एवं सुरक्षित तरीके से पूरी कर सके। इसके लिए आम नागरिकों व स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जायेगा।

प्रमुख सचिव, गृह श्री अरविन्द कुमार ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस महानिदेशक सहित समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भेजे गये है।

श्रावण शिवरात्रि के दौरान जलाभिषेक हेतु लगभग दो सप्ताह पूर्व ही कॉवड़िये एवं शिव भक्तों का आवागमन प्रारम्भ हो जाता है। शासन द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि भीड़–भाड़ के कारण यातायात एवं अन्य कारणों से आम नागरिकों को असुविधा न हो तथा शान्ति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित किये जायें।

उल्लेखनीय है कि कॉवड यात्रा एक धर्मिक यात्रा है जिसमें शिवभक्तों द्वारा भजन कीर्तन किया जाना स्वाभाविक है। इसके लिए आवश्यक होगा कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों, विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों का पालन करते हुये उनको ध्वनि प्रसारकों पर भजन संगीत बजाने की अनुमति दिये जाने की नियमानुसार व्यवस्था की जाए ताकि आस–पास के लोगों के शान्तिपूर्ण जीवन यापन में विघ्न न पडे तथा शान्ति व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न न हो।

कॉवड़ यात्रा के सम्बन्ध में जो कॉवड़ समितियाँ डीजे के इतर अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने की अनुमति हेतु आवेदन करना चाहती हैं उनसे आवेदन निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर पुलिस आख्या के बाद अनुमति कांवड़ समिति के मुख्यालय के जनपद के जिलाधिकारी द्वारा सशर्त दी जाएगी। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही किया जायेगा।

शासन द्वारा जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सभी जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि थाना स्तर पर कॉवड़ समितियों की गोष्ठियों अवश्य आयोजित हो जाए, जिसमें सम्बन्धित उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहें। इस गोष्ठी के मध्य कॉवड़ समिति के पदाधिकारियों को आवश्यक जानकारी देते हुए उनको क्या करें व क्या न करें (Dos & Don'ts) अवश्य बताया जाए। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर तथा कॉवड़ मार्गों पर पड़ने वाले थानों पर शान्ति समिति की बैठकें भी आयोजित करने के भी निर्देश दिये गये है। इन गोष्ठियों में जनपद तथा थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रबुद्ध नागरिकों से भी कॉवड़ यात्रा को शान्तिपूर्ण और सुगमता से पूर्ण करने के लिए उनका सहयोग प्राप्त किया जाए तथा उनसे व्यवस्थाओं में भी सहयोग देने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

———————